जाति व्यवस्था

जाति व्यवस्था → अर्थ एवं परिभाषा

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है जो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के एक प्रमुख स्वरूप को परिलक्षित करती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज कुछ जातीय समूहों में वर्गीकृत है और ये समूह सोपानिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके अंतर्गत एक जाति समूह एक अंतर्विवाही समूह होता है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, उसका एक निश्चित व्यवसाय होता है और जो कुछ विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं के साथ-खान-पान और सामाजिक सहवास संबंधी निषेधों का पालन करता है।

अंग्रेजी का caste शब्द पुर्तगाली भाषा के casta से बना है जिसका अर्थ प्रजाति, मत तथा नस्ल, आदि होता है। जाति शब्द की उत्पत्ति 1665 में ग्रैसियस डी औरेटा नामक विद्वान ने खोजी थी।

जाति को परिभाषित करते हुए मजूमदार और मदान लिखते हैं — एक जाति एक बन्द वर्ग है।

फूले — जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं।

केतकर — जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएँ हैं — (i) सदस्यता उन्हीं लोगों तक सीमित होती है जो इस समूह में जन्म लेते हैं,
(ii) सदस्यों को एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने की मनाही होती है।

Notes

जाति की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान-पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास सम्बन्धी प्रतिबन्धों को लागू करती है।

डॉ. घुरिये, एन. के. दत्ता एवं हट्टन, आदि, ने जाति की परिभाषा के स्थान पर उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं

का उल्लेख किया है :—

जाति की विशेषताएं :—

(i) समाज का खण्डात्मक विभाजन → भारतीय जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को अनेक छोटे एवं बड़े खण्डों एवं उपखण्डों में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक खण्ड सदस्यों के पद, प्रस्थिति एवं कार्यों को तय करता है।

(ii) संस्तरण (Hierarchy) → समाज में प्रत्येक जाति की एक निश्चित सामाजिक स्थिति पाई जाती है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और उनके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा सबसे नीचे अछूत जातियां है। इस संस्तरण में जातियों का ऊपर या नीचे गमन साधारणतः असम्भव है।

(iii) भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबन्ध (Restrictions on Fooding and social intercourse) → भोजन दो प्रकार का होता है— कच्चा और पक्का। कच्चा भोजन एक व्यक्ति अपने से ऊंची व अपनी जाति के सदस्यों के हाथ का बना होने पर ही ग्रहण करता है, जबकि पक्का भोजन अपने समकक्ष अथवा अपने से नीचे जातियों के हाथ का भी ग्रहण कर सकता है, किन्तु अछूत एवं शूद्र जातियों का नहीं।

(iv) परम्परात्मक व्यवसाय (Traditional Occupation) → प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय ~~[illegible]~~ होता है तथा वह जाति अपने परम्परात्मक व्यवसाय को ही करती है। परन्तु वर्तमान में इसमें परिवर्तन आ रहा है।

(v) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध (Restrictions on Marriage) → प्रत्येक जाति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करती है। दूसरी जातियों में विवाह करने की उसे छूट नहीं है।

(vi) जाति जन्म से निर्धारित होती है (caste is determined by Birth) → एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जीवन पर्यन्त उसी का सदस्य बना रहता है। अपने जीवन काल

में वह जाति बदल नहीं सकता।

(VII) सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएँ एवं विशेषाधिकार (Social and Religious Disabilities and Privileges) → जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को कुछ विशेषाधिकार अथवा निर्योग्यताएँ प्राप्त हैं। ऊँची जातियां अनेक सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विशेषाधिकारों का उपयोग करती हैं। निम्न जातियों को कई सुविधाओं से वंचित किया गया है।

वर्तमान इनके अतिरिक्त जाति पंचायत भी इसकी एक विशेषता है। प्रत्येक जाति का अपना एक नाम तथा पेशा होता है। अपनी एक संस्कृति होती है। परन्तु वर्तमान समय में जाति व्यवसाय व्यवस्था को अनेक शक्तियों ने प्रभावित किया है और आज जाति की अनेक विशेषताएँ परिवर्तित हो रही हैं।